अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, 07 मार्च, 2019

क्रमांक .342/मप्रविनिआ/2019–विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यघ) सहपठित धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनिमय, 2015, (पुनरीक्षण तृतीय), {आरजी–26(III), वर्ष 2015} में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2015 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (Short Title and Commencement) :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2015 (प्रथम संशोधन) {एआरजी–26 (III)(i), वर्ष 2019}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के रापजत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. **संशोधन/परिशिष्ट (Amendment/Addendum)** : कथित विनियम के विनियम 7 के उपविनियम 7.11 के परन्तुक (Proviso) के उपरांत निम्न जोड़ा जाता है, अर्थात् :

"7.12 दिनांक एक अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाली नियंत्रण अवधि हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्तें) विनियम की अधिसूचना जारी होने तथा उपरोक्त विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा विद्युत–दर के अवधारण होने तक, विद्युत उत्पादक कम्पनी हितधारक (benefeciary) को आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति में प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार प्रावधिक तौर पर देयक (बिल) प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगी :

परन्तु आयोग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होने वाली नवीन नियंत्रण अवधि हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन के रूप में एवं शर्तें), विनियम के अनुसार अवधारित की जाने वाली विद्युत–दर तथा विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा हितधारक को प्रस्तुत किये जाने वाले उपरोक्त प्रावधिक देयकों (provisional bills) के अन्तर की राशि की वसूली/वापसी तत्संबंधी वर्ष की विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि की दिनांक 1 अप्रैल को प्रचलित बैंक दर के बराबर साधारण ब्याज दर पर छः समान मासिक किस्तों में की जा सकेगी।"

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव.